रजिस्ट्री सं० डी (डी)-73

REGISTERED No. D(D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 26] नई दिल्ली, शनिवार, जून 28, 1975/आषाढ़ 7, 1897

No. 26] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 28, 1975/ASADHA 7, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)

PART II—Section 3—Sub-Section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गये साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 12 जून, 1975

सा० का० नि० 781.—अखिल भारत सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार, सम्बद्ध राज्यों की सरकारों से परामर्श करने के पश्चात्, भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 1968 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय वन सेवा (वेतन) द्वितीय संशोधन नियम, 1975 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 1968 में, नियम 7 में, परन्तुकों के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित परन्तुक अन्तः-स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और भी कि सीधे भर्ती किये गये या भारतीय वन सेवा भर्ती) नियम, 1954 के नियम 7-क के अनुसरण में भर्ती किये गये किसी अधिकारी के बारे में, जिसे विभागीय परीक्षा या परीक्षाओं में पूर्णतः या उसके किसी भाग में बैठने से इस कारण छूट प्राप्त है कि उसने उस परीक्षा या परीक्षाओं या उसके किसी भाग को, सेवा का सदस्य होने के पूर्व, पहले ही पास कर लिया है इस नियम के प्रयोजनार्थ, यह समझा जायेगा कि उसने यथास्थिति विभागीय परीक्षा या परीक्षाओं या उसके किसी भाग की ऐसी पूर्वतम परीक्षा, परीक्षाओं या उसके भाग की तारीख से उत्तीर्ण कर लिया है, जिसमें वह, यदि छूट प्राप्त न होती तो, सेवा का सदस्य बनने के पश्चात् बैठता।"

[संख्या 1/8/74-ए० आई० एस० (2)-सी०]

ए० के० गुप्ता,

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 12th June, 1975

G.S.R. 781.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules further to amend the Indian Forest Service (Pay) Rules, 1968, namely :—

38 GI/75—1

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 जून, 1975

सा० का० नि० 801.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राष्ट्रपति आकाशवाणी (श्रेणी-2 पद) भर्ती नियमावली 1962 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (श्रेणी-2 पद) भर्ती (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1975 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (श्रेणी-2 पद) भर्ती नियमावली, 1962 की अनुसूची में, क्रम संख्या 6 तथा तत्सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:—

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	लेखा परीक्षक	3	सामान्य केन्द्रीय सेवा, श्रेणी-2 राजपत्रित अलिपिक वर्गीय	840-40-1000-द० रो०-40-1200 रुपये (संशोधित)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, इसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	पदोन्नति : आकाशवाणी के वे प्रशासनिक अधिकारी जो 650-30-740-35-880-द० रो०-40-960 रुपये के वेतनमान में हों इस ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा हो गई हो, इनको विभागीय परीक्षा पास करनी होगी। परीक्षा की शर्त की छूट उन प्रशासनिक अधिकारियों को दी जा सकेगी जो 45 वर्ष की आयु के हो चुके हैं, बशर्ते कि वे हैड क्लर्क/लेखाकार के पद भरने के लिये आकाशवाणी महानिदेशालय द्वारा ली गई विभागीय परीक्षा पहले ही पास कर चुके हों। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : किसी भी सुव्यवस्थित लेखा विभाग उदाहरणार्थ इंडियन आडिट एंड एकाउन्ट्स डिपार्टमेंट, इंडियन डिफेंस एकाउन्ट्स डिपार्टमेंट और इंडियन रेलवे एकाउन्ट्स डिपार्टमेंट से लेखा/लेखा परीक्षा अधिकारी या एस० ए० एस० लेखाकार के दर्जे के वे अधिकारी जिन की इस ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	श्रेणी-2 विभागीय पदोन्नति समिति।	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अन्तर्गत अपेक्षित है।

[फाइल सं० 17/9/69-बी० (ए०)]

एस० एल० टंडन, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 11th June, 1975

G. S. R. 801.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class II Posts) Recruitment Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class II Posts) Recruitment (Third Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class II Posts) Recruitment Rules, 1962, for serial number 6 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

1	2	3	4	5	6	7	8
"6	Inspector of Accounts	3	General Central Service Class II, Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 840-40-1000-EB-40-1200 (Revised)	Selection	Not applicable	Not applicable

9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years	By promotion, failing which by transfer on deputation.	Promotion : Administrative Officers in the grade of Rs. 650-30-740-35-880-EB-40-960 in All India Radio with at least 5 years' service in that grade subject to passing a departmental test. Test condition relaxable in case of those Administrative Officers who have attained the age of 45 years, provided they have already passed a departmental test conducted by the Directorate General, All India Radio for filling up of the posts of Head Clerk/Accountant. Transfer on deputation : Officers of the rank of Accounts/Audit Officers or SAS Accountant with 5 years' service in the grade from any of the organised Accounts Departments, for example, Indian Audit and Accounts Department, Indian Defence Accounts Department and Indian Railway Accounts Department. (Period of deputation—ordinarily not exceeding 3 years).	Class II Departmental Promotion Committee.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958."

[F. No. 17/9/69-B(A)]
M. L. TANDON, Under Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 17 जून, 1975

सा० का० नि० 802.—संविधान की धारा 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा डाक-तार विभाग (मोटर और लारी ड्राइवर) भर्ती नियम, 1959, का अधिक्रमण करते हुए राष्ट्रपति डाक-तार विभाग के मोटर, जीप और लारी ड्राइवर संवर्ग में उम्मीदवारों की भर्ती का नियमन करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. लघु शीर्षक तथा प्रारम्भ—(1) ये नियम डाक-तार विभाग (मोटर, जीप और लारी ड्राइवर) भर्ती नियम, 1975 कहलायेंगे।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।